

Case No.01/2018

Witness No.(03) For -.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken
the 09-03-2018 day ofशुक्रवार..... Witness's apparent age -48
State on affirmation.....शपथपूर्वक.....My name is -.....हेमंत.. वर्मा.....
Son of -.....श्री परेटन वर्मा.....Occupation -.....कृषि.....
address.....ग्राम ढाबा, थाना गण्डई, जिला राजनांदगांव(छ.ग.).....

1/ मैं ग्राम ढाबा का सरपंच हूं। मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी राकेश वर्मा को नहीं जानता पहचानता हूं। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

न्यायालय द्वारा प्रश्न:-

2/ साक्षी को उनका पुलिस बयान प्र.पी.12 के अ से अ भाग "दिनांक 10.11.17 के करीबन---थाना गण्डई रिपोर्ट दर्ज कराने" तक पढ़कर सुनाए जाने पर उसे सही होना स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि, मैंने पुलिस को प्र.पी.12 का बयान दिया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सतीश सिंघानिया अधिवक्ता वास्ते आरोपी:-

3/ कुछ नहीं।

टीप:- पुनः परीक्षा- कुछ नहीं।

पुनः प्रतिपरीक्षा कुछ नहीं।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,

सही होना स्वीकार किया।

—सही—

(कु. सुमन ध्रुव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी

छुईखदान, जिला राजनांदगांव.

मेरे निर्देशानुसार

टंकण किया गया।

—सही—

(कु. सुमन ध्रुव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी

छुईखदान, जिला राजनांदगांव.